

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू० / RNTCP / दि० नि० / 02 / 2012-13 / 599-72 दिनांक: 28.6.2012

विषय : नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपदवार, मदवार संविदा कर्मियों के मानदेय एवं लैब कन्ज्यूमेबिल्स हेतु अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2012-13 के लिए आर०ओ०पी० वर्ष 2012-13 के एफ०एम०आर० कोड संख्या-आई के अन्तर्गत ₹ 5674.56 लाख तथा अतिरिक्त ₹ 89.40 लाख (मिशन फ्लेक्सीपूल के एफ०एम०आर० कोड संख्या-बी 22.4) इस प्रकार कुल ₹ 5763.96 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, परन्तु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के खाते में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

2. जनपदों में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही समस्या को संज्ञान में लेते हुए राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.06.2012 में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के प्रथम त्रयमास हेतु मानदेय भुगतान के लिए ₹ 800.00 लाख एवं लैब कन्ज्यूमेबिल्स हेतु ₹ 65.00 लाख की धनराशि कार्यहित में भारत सरकार से अनुमति की प्रत्यासा में मिशन फ्लेक्सीपूल के अन्तर्गत वर्तमान में अवशेष धनराशि से तत्काल निर्गत किए जाने का निर्देश दिया गया।

3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति के निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपदवार, मदवार विवरण के अनुसार संविदा कर्मियों के वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रयमास के मानदेय के भुगतान हेतु ₹ 736.72 लाख एवं लैब कन्ज्यूमेबिल्स मद में ₹ 65.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 801.72 लाख की धनराशि जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नानुसार अवमुक्त की जा रही है—

S. No.	District	Laboratory Consumables		Contractual Services		Total Amount being released
		Amt Approved in ROP	Amt being released	Amt Approved in ROP	Amt being released	
1	AGRA	560000	140000	8969340	2242335	2382335
2	ALIGARH	560000	140000	6266700	1566675	1706675
3	ALLAHABAD	727680	181920	10380000	2595000	2776920
4	AMBEDKAR NAGAR	294120	73530	3006000	751500	825030
5	AURAIYA	188000	47000	2191800	547950	594950
6	AZAMGARH	573200	143300	4563900	1140975	1284275



7	BAGHPAT	163022	40756	3586000	896500	937256
8	BAHRAICH	388680	97170	2650000	662500	759670
9	BALLIA	413205	103301	3264300	816075	919376
10	BALRAMPUR	220355	55088	2944200	736050	791138
11	BANDA	219840	54960	3028500	757125	812085
12	BARABANKI	388000	97000	4568000	1142000	1239000
13	BAREILLY	600000	150000	6670800	1667700	1817700
14	BASTI	300000	75000	1941000	485250	560250
15	BHEEM NAGAR	240000	60000	2507400	626850	686850
16	BIJNOR	456000	114000	5725000	1431250	1545250
17	BUDAUN	526400	131600	4825800	1206450	1338050
18	BULANDSHAHR	520000	130000	6137028	1534257	1664257
19	CHANDAULI	237840	59460	2368100	592025	651485
20	CHITAKOOT	116040	29010	2023800	505950	534960
21	CSM NAGAR	283560	70890	2166000	541500	612390
22	DEORIA	396000	99000	2843100	710775	809775
23	ETAH	240000	60000	4849200	1212300	1272300
24	ETAWAH	240000	60000	3547200	886800	946800
25	FAIZABAD	296622	74156	2922300	730575	804731
26	FARRUKHABAD	228000	57000	2934600	733650	790650
27	FATEHPUR	320000	80000	2910400	727600	807600
28	FIROZABAD	353280	88320	4956200	1239050	1327370
29	G B NAGAR	296000	74000	3624800	906200	980200
30	GHAZIABAD	800000	200000	6301380	1575345	1775345
31	GHAZIPUR	444000	111000	3447058	861764	972764
32	GONDA	440000	110000	3117000	779250	889250
33	GORAKHPUR	558000	139500	4058700	1014675	1154175
34	HAMIRPUR	180000	45000	2033700	508425	553425
35	HARDOI	649818	162454	4388560	1097140	1259594
36	HATHRAS	193440	48360	1290000	322500	370860
37	J.P. NAGAR	228000	57000	3129600	782400	839400
38	JALAUN	216000	54000	2834805	708701	762701
39	JAUNPUR	567470	141868	5574300	1393575	1535443
40	JHANSI	257760	64440	4523100	1130775	1195215
41	KANNAUJ	174045	43511	2855925	713981	757492
42	KANPUR NAGAR	657696	164424	10561770	2640442	2804866
43	KANSHIRAM NAGAR	180588	45147	2341000	585250	630397
44	KAUSHAMBI	283466	70866	2040420	510105	580971
45	KHERI	464280	116070	3791220	947805	1063875
46	KHUSHINAGAR	419520	104880	2620932	655233	760113
47	LALITPUR	144000	36000	2310600	577650	613650
48	LUCKNOW	630400	157600	11968500	2992125	3149725
49	MAHARAJGANJ	315200	78800	2111100	527775	606575
50	MAHOBAB	124142	31035	3028500	757125	788160
51	MAINPURI	231000	57750	2660940	665235	722985
52	MATHURA	304800	76200	3646950	911738	987938

Q

53	MAU	276000	69000	1931700	482925	551925
54	MEERUT	590400	147600	5986200	1496550	1644150
55	MIRZAPUR	302400	75600	3817800	954450	1030050
56	MORADABAD	332000	83000	3676850	919212	1002212
57	MUZAFFARNAGAR	400000	100000	6069150	1517288	1617288
58	PANCHSHEEL NAGAR	168000	42000	3375150	843788	885788
59	PILIBHIT	236000	59000	3212475	803119	862119
60	PRABUDHNAGAR	183200	45800	2316000	579000	624800
61	PRATAPGARH	398400	99600	3823200	955800	1055400
62	RAEBARELI	301200	75300	3222400	805600	880900
63	RAMABAI NAGAR	201155	50288	3849900	962475	1012763
64	RAMPUR	352800	88200	4461000	1115250	1203450
65	SAHARANPUR	468400	117100	6280000	1570000	1687100
66	SANT KABIR NAGAR	247968	61992	1683000	420750	482742
67	SANT RAVIDAS NAGAR	272000	68000	2263824	565956	633956
68	SHAHJAHANPUR	376200	94050	4438200	1109550	1203600
69	SHRAWASTI	120000	30000	3749000	937250	967250
70	SIDDHARTH NAGAR	240000	60000	3247200	811800	871800
71	SITAPUR	524760	123169	3864625	966156	1089325
72	SONBHADRA	216000	54000	3223200	805800	859800
73	SULTANPUR	152580	38145	2921400	730350	768495
74	UNNAO	398520	99630	2594880	648720	748350
75	VARANASI	464640	116160	5672100	1418025	1534185
DISTRICTS TOTAL		26032092	6500000	294686782	73671695	80171695

4. उपर्युक्त सारणी में इंगित जनपद प्रबुद्धनगर की धनराशि जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद पंचशीलनगर की धनराशि जनपद गाजियाबाद तथा जनपद भीमनगर की धनराशि जनपद मुरादाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है क्योंकि नव निर्मित उक्त जनपदों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन/बैंक खाता अभी नहीं है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की मांग के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि से मानदेय का भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनका मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2012-13 के लिए अनुबन्धित किया गया हो। मानदेय का भुगतान संविदा कर्मियों का वर्ष 2012-13 में अनुबन्धित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से उनके द्वारा किये गये सन्तोष जनक कार्य के आधार पर किया जाए।

7. लैब कन्ज्यूमेबिल मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार की Revised Norms and Basis of Costing for RNTCP के अनुसार ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुरूप किया जाए।

8. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट" प्रदेश में दिनांक

01.04.2012 से लागू की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट" सुलभ सन्दर्भ हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग, रिपोर्ट ऑफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया-2011 (सी0ए0जी0 रिपोर्ट) जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है, की आपत्तियों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

10. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक नये रोगी की खखार (स्पूटम) जाँच हेतु खखार संग्रहित करते हुए रोगी के साथ एल0टी0/संग्रहकर्ता की तिथि एवं समय दर्शाता हुआ डिजिटल फोटोग्राफ तथा उसे डॉट्स के अनुरूप औषधि खिलाते हुए डॉट्स प्रोवाइडर का तिथि एवं समय दर्शाता हुआ डिजिटल फोटोग्राफ की सी0डी0/डी0वी0डी0 प्रत्येक जनपद के जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य स्तर पर माहवार जनपदों द्वारा तैयार की गई डिजिटल फोटोग्राफ की सी0डी0/डी0वी0डी0 राज्य में कार्यरत विश्व स्वास्थ्य संगठन के आर0एन0टी0सी0पी0 सलाहकारों की सहायता से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मिशन निदेशक को अपनी स्पष्ट समीक्षात्मक आख्या के साथ उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वास्तव में रोगियों के ईलाज की तथ्यात्मक एवं साक्ष्य परख मॉनीटरिंग संभव हो सके।

11. जनपदों में सी0डी0/डी0वी0डी0 में संकलित डिजिटल फोटोग्राफ के आधार पर ही संबंधित मदों में धनराशि की उपयोगिता मानी जायेगी। जिस जनपद से उपर्युक्तानुसार डिजिटल फोटोग्राफ की सी0डी0/डी0वी0डी0 उपलब्ध नहीं कराई जायेगी उस जनपद में संबंधित डॉट्स प्रोवाइडर, एल0टी0, एस0टी0एस0, एस0टी0एल0एस0 एवं पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित अन्य नियमित एवं संविदा कर्मियों का वेतन/मानदेय यह मानते हुए आहरित नहीं किया जायेगा कि उनके द्वारा उस माह कोई कार्य/अपने उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं किया गया है। उक्त की पुनरावृत्ति होने पर कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुबंधित संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमित रूप से कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

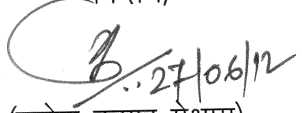
12. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके सुचारु रूप से प्रभावी क्रियान्वयन न किये जाने पर एम0डी0आर0/टी0डी0आर0 रोगियों की संख्या में वृद्धि होनी संभावित रहती है। अतः कार्यक्रम में किसी भी तरह की शिथिलता के लिए जिला क्षय रोग अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, राज्य कार्यक्रम अधिकारी/संयुक्त निदेशक क्षय रोग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आर0एन0टी0सी0पी0 सलाहकार सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होंगे।

13. संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर वर्ष 2012-13 के लिए अनुबन्धित संविदा कर्मियों की लाइन लिस्ट (संविदा कर्मी का नाम, पदनाम, कार्यस्थल का पता, शैक्षिक योग्यता एवं संविदा पर अनुबन्धित कर कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक, मोबाइल नम्बर/ई-मेल एड्रेस (यदि हो), मासिक मानदेय की धनराशि, फोटोग्राफ) ई-मेल mdupnrhm@gmail.com पर दिनांक 05.07.2012 तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उक्त की सी0डी0 तैयार कर भेजा जाए ताकि उसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड किया जा सके। उक्त के



अतिरिक्त संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भी प्रत्येक माह के 05 तारीख तक उपर्युक्त ई-मेल पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मिश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/RNTCP/दि० नि०/02/2012-13/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अतिरिक्त सचिव/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपमहानिदेशक, क्षय रोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य, भारत सरकार, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
9. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

/

(डॉ० अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम



